उत्तर प्रदेश शासन

लोक निर्माण अनुभाग-3

संख्याः29/2022/667/23-3-2022-21(जनरल)/2004

लखनऊः दिनांकः 21 अप्रैल,2022

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश कार्य नियमावली के संगत प्राविधानों के अधीन लोक निर्माण विभाग के निम्नलिखित विषयों से सम्बन्धित कार्य मा0 लोक निर्माण मंत्री जी द्वारा मा0 राज्य मंत्री जी को आवंटित किया जाता है:-

(1) अवर अभियन्ताओं से सम्बन्धी एवं स्थानान्तरण सम्बन्धित कार्य।
(2) अराजपत्रित कर्मचारियों की नियुक्ति, स्थाईकरण, प्रतिनियुक्ति तथा त्याग-पत्र से संबंधित मामले।
(3) अराजपत्रित कर्मचारियों के अभ्यावेदन/मेमोरियल के मामले।
(4) लोक निर्माण विभाग के लिए भवनों को किराये पर लेना।
(5) भवनों एवं फेरीज के ठेकेदारों के मामले।
(6) फेरीज का प्रान्तीयकरण।
(7) निरीक्षण भवनों का हस्तान्तरण या अधिग्रहण।
(8) सरकारी कर्मचारियों के आवास सम्बन्धी योजनाओं का प्रोग्राम तथा क्रियान्वयन।
(9) सदन में उठाये गये अतारांकित प्रश्नों के उत्तर।

नितिन रमेश गोकर्ण

प्रमुख सचिव।

संख्याः 29/2022/667(I)/23-3-2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) प्रमुख सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उ0प्र0शासन।
(2) प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0शासन।
(3) निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन।
(4) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन।
(5) स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन।
(6) निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन।
(7) समस्त अधिकारी, लोक निर्माण सचिव शाखा।
(8) प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष/प्रमुख अभियंता (ग्रामीण सडक)/प्रमुख अभियंता (परिकल्प एवं नियोजन), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
(9) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ/उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
(10) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(गिरिजेश कुमार त्यागी)

विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in